



अनुसूची के अन्तर्गत पर आवेदन करने का प्रारम्भ - 2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यलय का नाम	गृह जनसंख्या/सह क्षेत्र का नाम	सहाय्यता प्राप्त 10/दिनांक सोन तस्विया क्रम नं	एक की रकम जिसकी अनुसूची किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	शुभ प्रकाश कुमार अग्रवाल	सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय सचिव लोकनिर्माण कार्यालय	सदर/सह क्षेत्र	1 अस्थाई सचिव लोकनिर्माण सचिव। 2 निर्माण सचिव लोकनिर्माण सचिव। 3 अस्थाई सचिव लोकनिर्माण कीर्तिनगर।	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)		जहाँ की इस सचिव ने 4 वर्ष 9 माह की सेवा पूरी हो चुकी है। जहाँ की अधिकतम विरत वर्ग से केवल वेतन से वेकिल नहीं है। अधिकतम के अनुसार उपचार हेतु जहाँ को का-का देवदत्त जय प्रकाश है। जो अपने अनुसूची है कि जहाँ का देवदत्त के निकट किसी एक सचिव में सहायता करने की सेवा करें।

नोट - कोलम संख्या- 07 में दर्शाए गए अक्षर के सम्बन्ध में सहाय्यता के निमित्त प्रमाण पत्र सहाय्यता प्राप्त कार्यालय सहाय्यता के अनुरोध से प्राप्त की जायेगी तथा एक की रकम का अनुसूची तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि सहाय्यता प्राप्त न हो।


 हस्ताक्षर (लोकनिर्माण)
 नाम- शुभ प्रकाश कुमार अग्रवाल
 पदनाम- सहायक अभियन्ता
 प्रान्तीय सचिव लोकनिर्माण कार्यालय।


 हस्ताक्षर (लोकनिर्माण)
 नाम- राजेंद्र कुमार
 पदनाम- अधिकारी अभियन्ता
 प्रान्तीय सचिव लोकनिर्माण कार्यालय।

OR

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह-जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1			2	3	5		6	
1	श्री राम नगीना	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो.नि.वि. बैजरो	तहसील- खटीमा जिला-उधम सिंह नगर	1- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० खटीमा। 2- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० रुद्रपुर। 3- ए०डी०बी खण्ड लो०नि०वि० रुद्रपुर। 4- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी। 5- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रामनगर। 6- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० चम्पावत। 7- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० लौहाघाट। 8- अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० मवाली। 9- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० काशीपुर। 10- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड लो०नि०वि० हल्द्वानी।	धारा के नाम के आगे लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पाँच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	मेरे पिताजी की आयु 85 वर्ष होने एवं बीमार होने के कारण उनकी देखरेख मेरे द्वारा ही की जाती है। जिस कारण खटीमा से बैजरो आने में काफी समय लग जाता है जिससे राजकीय कार्यों में बाधा होती है। एवं हृदय रोगी भी है। जिससे उनके इलाज में आने जाने में बाधा उत्पन्न होती है।


हस्ताक्षर (कार्मिक)



राम नगीना

सहायक अभियन्ता (सिविल)
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरो।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


अधिसूचना अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि० बैजरो।
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बैजरो (गढ़वाल)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसूचित किया गया है	टिप्पणी
2	3	4	5	6	7	8
आनिलेश कुमार	सहायक अभियन्ता	राष्ट्रीय माला खण्ड लो. नि. वि. बड़कोट	देहरादून	1 अल्पक शिल्प 2 अल्प साह्य 3 अल्प देहरादून 4 अल्प लुकी 5 अल्प हरिद्वार 6 अल्प लो. नि. वि. देहरादून 7 डिजाइन लैल के. नि. वि. देहरादून 8 अल्प लुकी लो. नि. वि. देहरादून 9 अल्प लुकी लो. नि. वि. देहरादून	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत संख्या के विकल्प में प्रथम क्रम में है कि धारा के माता-पिता हैं हैं। निम्नी अनुसूचित 65 से 75 वर्ष हो चुके हैं तथा वे लगातार विमार रहते हैं, किन्ती देसभाल हेतु मुझे कार्य देसभाल आना-जाना पता है, इस कारण धारा 17(1) (ख) (छ) पर ध्यान रहता है, अतः अनुरोध के निम्न अनुरोध है कि धारा से सह अनुसूचित रखते हुए अनुरोध के आधार पर स्थान में किसी न्युनी की रकम में करने की धुपा करें।

स्थानान्तरण करने की धुपा करें

3- कॉलन संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्यन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)
 नाम- आनिलेश कुमार
 पदनाम- सहायक अभियन्ता
 रा. माला खण्ड लो. नि. वि. बड़कोट

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)
 नाम-
 पदनाम- अधिशासी अभियन्ता,
 रा. माला खण्ड, लो. नि. वि. बड़कोट (उत्तरकाशी)
 प. 15/2008

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
1	श्री अनिल कुमार	सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, भटवाड़ी।	हरिद्वार/ रुड़की	<ol style="list-style-type: none"> 1. अस्थाई खण्ड, कीर्तिनगर। 2. निर्माण खण्ड, श्रीनगर। 3. रा0मा0 खण्ड, श्रीनगर। 4. निर्माण खण्ड, चम्बा। 5. प्रान्तीय खण्ड, टिहरी। 6. प्रान्तीय खण्ड, पौड़ी। 7. निर्माण खण्ड, पौड़ी। 8. अस्थाई खण्ड, थत्त्यूड। 9. अस्थाई खण्ड, सहिया। 10. निर्माण खण्ड, चिन्यालीसौड। 	धारा के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगाये धारा 17 (1)(ख) (एक) धारा 17 (1)(ख) (दो) धारा 17 (1)(ख) (तीन) धारा 17 (1)(ख) (चार) धारा 17 (1)(ख) (पाँच) धारा 17 (1)(ख) (छः) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	महोदय, अवगत कराना है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी की पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तथा बार-बार स्वास्थ्य उपचार हेतु अस्पताल (ऋषिकेश/हरिद्वार/रुड़की) जाना पड़ता है। प्रार्थी के अलावा परिवार की देखरेख करने हेतु अन्य कोई भी सदस्य मौजूद नहीं है। प्रार्थी के बच्चे अध्ययनरत हैं। अतः निवेदन है कि रिक्त पद के सापेक्ष एवं मेरी उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत मेरा स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम में स्थानान्तरण एक्ट धारा 17 (1)(ख) (छः) के तहत कॉलम-6 में वर्णित खण्डों में से किसी एक में वरियता क्रम के अनुसार स्थानान्तरण करने की कृपा कीजिएगा।

नोट- कॉलम संख्या -07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम-अनिल कुमार,

पदनाम-सहायक अभियन्ता

खण्ड-प्रा0ख0लो0नि0वि0, भटवाड़ी।

भटवाड़ी।

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम-ड० नवीन लाल

पदनाम-अधिसूत्री अभियन्ता

खण्ड-प्रा0ख0लो0नि0वि0

भटवाड़ी (उत्तरकाशी)

31

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 2

●म	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	ग्रह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
					धारा के नाम के आगे ✓ लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
हेमन्त कुमार पाठक	सहायक अभियन्ता	नि० ख०, लो०नि०वि० बैजरो	जनपद- पिथौरागढ़ तहसील- पिथौरागढ़	नि० ख० नैनीताल प्रा० ख० नैनीताल नि० ख० 2 ए०डी०बी० नैनीताल द्वि० वृ० नैनीताल अ०ख० भवाली नि० ख० अल्मोड़ा प्रा० ख० अल्मोड़ा रा० रा० ख० रानीखेत नि० ख० रानीखेत प्रा० ख० रानीखेत	धारा 17.1.ख.एक धारा 17.1.ख.दो धारा 17.1.ख.तीन धारा 17.1.ख.चार धारा 17.1.ख.पांच धारा 17.1.ख.छ: ✓ धारा 17.1.ख.सात	संलग्न	महोदय मेरे पिता जिनकी आयु 79 वर्ष है, का उपचार वर्तमान में बेस हास्पिटल दिल्ली कैंट से चल रहा है पूर्व में उनके पीठ एवं सर के आपरेशन हो चुके हैं। ग्रह जनपद से 300 किमी दूर होने के कारण में वृद्धावस्था में उनकी देखभाल नहीं कर पा रहा हूँ। उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तराखण्ड शासन के प०सं० 385633 / III(1)/26-28567 Dt 7-4-2026 द्वारा डिप्लोमा इंजिनियर्स के लिये उच्च शिक्षा की अनुमति हेतु आख्या मांगी गयी है जिस हेतु मेरे द्वारा आवेदन किया गया है। अतः उच्च शिक्षा एवं पिता की देखभाल हेतु मेरे द्वारा धारा 17.1.ख. छ: के अन्तर्गत दुर्गम से दुर्गम स्थानान्तरण हेतु आवेदन किया जा रहा है।

नोट - कॉलम सं० 7 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

✍

हस्ताक्षर कार्मिक



नाम - इं० हेमन्त कुमार पाठक

पदनाम - सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर कार्यालयाध्यक्ष



नाम - इं० लोकेश कुमार

पदनाम- अ०अभि०, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० बैजरो (मिडवांस)

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	विष्णु	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो० नि० वि० जौरसैण	कल्याण सिंह नगर/ काशीपुर	① नि०ख० नैनीताल ② प्रा०ख० नैनीताल ③ ज०ख० भवाली ④ प्रा०ख० रानीखेत ⑤ नि०ख० रानीखेत ⑥ रा०प्रा०ख० रानीखेत ⑦ द्वितीय वृत्त लोकनि० नैनीताल	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष की सेवा पूर्ण (संलग्न)	

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्वन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- विष्णु

पदनाम- सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
जौरसैण (बमोली)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- (जगदीश प्रसाद) 29/04/26
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
जौरसैण (बमोली)

Repeat

33

अनुसंधान के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	कार्यलय का नाम	पूरा जिला / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 एचिडक स्थान इसी प्रकार क्रम में	एकट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुसंधान किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	श्री हरमोहिन्द सिंह	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लोनिवि बम्ब	उत्तरम सिंह नगर काशीपुर	1- अख लोनिवि अवाली 2- द्वितीय वृत्त लोनिवि मेरीताल 3- निख लोनिवि मेरीताल 4- समा खण्ड लोनिवि युमकोट 5- राम खण्ड लोनिवि रानीखेत 6- निख लोनिवि रानीखेत 7- प्राख लोनिवि रानीखेत 8- निख-2 ए डी बी मेरीताल 9- क्षेत्रीय कार्यालय लोनिवि हनुमानगढ़ी	<input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (घ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (ग) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (घ) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (घ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (घ)	प्रस्तुत कारण का विवरण पी.जी.आई. नपडीगढ़ द्वारा निर्गत अभिलेख	प्राची की पत्नी विछल कटु वर्षों से बीमार जैसी जटिल बीमार से ग्रसित है जिसका उपचार पी.जी.आई. नपडीगढ़ से चल रहा है। प्राची की वैवाहिक घर से दूर होने के कारण पत्नी का उपचार प्रभावित हो रहा है। प्राची का स्थानान्तरण ऐच्छिक स्थानों में से किसी एक स्थान पर करने की कृपा करें।

नोट - अंतिम सख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्व प्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एकट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्यिक)

नाम - हरमोहिन्द सिंह
पदनाम - सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लोनिवि बम्ब
टिहरी बदायल

25.04.2026

हस्ताक्षर (कार्यालयिक)
अधीक्षक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोनिवि
पदनाम
बम्ब (टि०ग०)

or

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

(2)

क्र०सं०	नाम/कर्मचारी कोड	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
131	ई० गम्भीर सिंह / 650062 33	सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।	देहरादून/कालसी	1 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।	धारा के नाम के आगे () लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	<p>प्रार्थी के बुजुर्ग माता पिता का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण निरन्तर डॉक्टर की देखरेख में चिकित्सा उपचार देहरादून के अस्पताल में चल रहा है। प्रार्थी इकलौती संतान होने के कारण से अपने बुजुर्ग माता पिता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी प्रार्थी पर ही निर्भर है। प्रार्थी द्वारा 13 वर्ष से अधिक की दुर्गम सेवा पूर्ण कर ली गई है। प्रार्थी का स्वयं भी डायबिटीज, बी०पी० एवं हृदय रोग का चिकित्सा उपचार चल रहा है।</p> <p>प्रार्थी का वर्तमान कार्यरत खण्ड जनपद:- देहरादून से लगभग 250 कि०मी० की दूरी पर है। प्रार्थी के द्वारा अपने स्वयंसेवक हेतु 10 ऐच्छिक स्थान खण्ड (वि०) वरियता क्रम में अनुरोध किया गया है। ये सभी खण्ड जनपद देहरादून से लगभग 100 से 150 कि०मी० की दूरी पर स्थित हैं। जिन्हें प्रार्थी को देहरादून अस्पताल में चिकित्सा उपचार में सुविधा प्राप्त होगी।</p>
					2 राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर।	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक)		
					3 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, चम्पा।	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					4 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, नई टिहरी	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					5 अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्तूड़।	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					6 अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर।	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
					7 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर।	<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छः)		
					8 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी।	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)		
					9 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी।			
					10 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बड़कोट।			

नोट:-कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये अधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम:-ई० गम्भीर सिंह
पदनाम:-सहायक अभियन्ता (सिविल)

सहायक अभियन्ता
रा० मा० खण्ड, लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम:-ई० आर० पाण्डेय
पदनाम:-अधिकांसी अभियन्ता
आंधशासी अभियन्ता
रा०मा०खण्ड, लो० नि० वि०
रुद्रप्रयाग

04/5/2026

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप - 02

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थानों वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है (साक्ष्यों सहित)		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इं० महक सिंह (39005947)	सहायक अभियन्ता	अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, घनसाली	हरिद्वार/रूडकी	1. प्रा०ख०, लो०नि०वि०, नई टिहरी 2. अ०ख०, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर 3. रा०मा०, खण्ड लो०नि०वि०, श्रीनगर 4. नि०ख०, लो०नि०वि०, चम्पा 5. अ०ख०, लो०नि०वि०, सहिया 6. प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लेन्सडाउन	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये		-
						धारा 17 (1) (ख) (एक)		
						धारा 17 (1) (ख) (दो)		
						धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
						धारा 17 (1) (ख) (चार)		
						धारा 17 (1) (ख) (पांच)		
						धारा 17 (1) (ख) (छः)	✓	
						धारा 17 (1) (ख) (सात)		

नाम:- महक सिंह
पदनाम -सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, घनसाली

नाम - इं० डी० सी० नौटियाल
पदनाम - अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०, घनसाली

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृहजनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया		टिप्पणी
						दुर्गम में कृषि है	दुर्गम में कृषि है	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मयंक तिवारी	सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, कर्णप्रयाग।	जनपद नैनीताल तहसील रामनगर	1. नि० ख०. रानीखेत 2. ग्रा० ख०. रानीखेत 3. नि० ख०. नैनीताल 4. रा०मा० खण्ड, रानीखेत 5. ए०डी०वी० खण्ड, नैनीताल 6. प्रा०ख०. नैनीताल 7. द्वितीय वृत्त, नैनीताल 8. अ०ख०. भवाली	<input checked="" type="checkbox"/> धारा के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्रार्थी दिग्गत 550 वर्षों से वर्तमान खण्ड में कार्यरत है। अतः प्रार्थी दुर्गम कार्यस्थल से निम्नलिखित दुर्गम कार्यस्थलों में स्थानान्तरण चाहता है। महोदय प्रार्थी के आवेदन पर विचार करने की कृपा करें।

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- मयंक तिवारी

पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

अधिसारी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, सी.नि.वि.
कर्णप्रयाग।

37

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/संसदीय क्षेत्र का नाम	स्थानांतरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान बरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	टिप्पणी
3.	स्वाति फन्त (9227 0213 F 0 1398)	सहायक ऑफिसर (आर.ए.ओ.)	अवर लो.नि.वि. -चक्राहा	देहरादून/ देहरादून	1- नि.रं. 2- र. डी.ओ. नेगीताल 2- प्रा.रं. नेगीताल 3- नि.रं. नेगीताल 4- अवर. अरुणा 5- डि.नि. वृत्त लो.नि.वि. नेगीताल	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छ) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	प्राची का वृत्त से छुटा है। अनिवार्य स्थानांतरण हेतु पानवा लुनी कुमक 146 में है। प्राची के माता पिता वृद्ध एवं वरिष्ठ नागरिक हैं। माता-पिता प्राची पर ही आश्रित हैं। प्राची का विवाह अवधि ही के कारण प्राची वृत्त से दुर्गम में स्थानांतरण हेतु इच्छुक है।

कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- इ. स्वाति फन्त
पदनाम- सहायक ऑफिसर
आर.ए.ओ. लो.नि.वि.
-चक्राहा

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)

नाम- इ. विजय कुमार मोहन
पदनाम- अधीक्षक सहायक ऑफिसर
आर.ए.ओ. लो.नि.वि.
-चक्राहा

38


अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वारियता क्रम में	एक की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	डॉ० अक्षय सिंह	सहायक अभियंता (सिविल)	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० कपकोट	हरिद्वार / रुडकी	1. प्रांतीय खण्ड लैंसडॉन 2. नि० ख० लो०नि०वि० चम्बा 3. अस्थाई ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर 4. निर्माण खण्ड गौघर 5. अस्थाई ख० लो०नि०वि० भवाली - 6. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल 7. प्रा० खण्ड लो०नि०वि० नैनीताल 8. प्रांतीय खण्ड लो०नि०वि० टिहरी 9. नि० ख० लो०नि०वि० घोंडी 10. प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि० कर्णप्रयाग	<input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (छ) <input type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्य का विवरण	दुराग क्षेत्र में लगातार 10 वर्ष से अधिक सेवा पूर्ण होने के उपरान्त अन्य दुराग क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु अनुरोध


नोट- कर्मचारी संख्या -07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सूक्ष्म स्तर पर निर्माण प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति सतर्कता से जांच करनी अनिवार्य है। तभी एक की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम
पदनाम


 डॉ० अक्षय सिंह
 सहायक अभियंता (सिविल)

हस्ताक्षर (कार्यालयध्यक्ष)


 नाम- अनिल कुमार पटेल
 पदनाम- अधीक्षक अभियंता

OK

39

अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण चाहने हेतु 10 ऐच्छिक स्थान का प्रारूप-2
प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	10 ऐच्छिक स्थान	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1-	उमेश धारिया	सहायक अभियन्ता	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर	देहरादून / देहरादून	1- अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, थत्पूड 2- अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर 3- प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, टिहरी 4- अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, चकराता 5- रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर 6- रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, बडकोट 7- प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०, लैन्सडौन 8- निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, श्रीनगर 9- निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, पुरोला 10- निर्माण खण्ड लो०नि०वि०, बडकोट	धारा के नाम के आगे ✓ लगायें धारा 17(1)(ख)(एक) धारा 17(1)(ख)(दो) धारा 17(1)(ख)(तीन) धारा 17(1)(ख)(चार) धारा 17(1)(ख)(पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः) धारा 17(1)(ख)(सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	दुर्गम से दुर्गम हेतु अनुरोध किया जा रहा है।

नाम :-

(इ० उमेश धारिया)

पदनाम :-

सहायक अभियन्ता (सिविल)
 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
 गोपेश्वर।

or

(इ० नवीन ध्यानी)

अधिसूचना अभियन्ता,

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,

प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, निर्माण विभाग

14.5.2026

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद /तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	सुधीर कुमार	सहायक अभियन्ता	छटा वृत्त, लो०नि०वि०, उत्तरकाशी	हरिद्वार/ हरिद्वार	1. नवम् वृत्त लो०नि०वि० देहरादून 2. सिविल वृत्त लो०नि०वि० हरिद्वार 3. मुख्य अभियन्ता कार्या० देहरादून 4. मुख्य अभियन्ता का० रा०मा० देहरादून 5. 10वां वृत्त लो०नि०वि० देहरादून 6. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० लक्सर 7. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० रुडकी 8. 08 वां वृत्त लो०नि० वि० नई टिहरी 9. निर्माण खण्ड लो०नि०वि० चम्बा 10. प्रा०खण्ड लो०नि०वि० टिहरी	धारा के नाम के आगे <input checked="" type="checkbox"/> लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	मेरी माता जी जिनकी उम्र 75 वर्ष से अधिक है, जिनको हमारे निजी आवास रुडकी में अकेले रहना पड़ता है। आवश्यकता होने पर उत्तरकाशी से रुडकी जाने में अधिक दूरी होने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input type="checkbox"/>			
					<input checked="" type="checkbox"/>	धारा 17(1)(ख)(छः)	अनुरोध पत्र	
					<input type="checkbox"/>			

Sudhir Kumar
25/04/2026
हस्ताक्षर (कार्मिक)
नाम- इं० सुधीर कुमार
पदनाम- सहायक अभियन्ता

Ramesh
25.4.26
हस्ताक्षर(कार्यालयाध्यक्ष)
नाम- इं० विजय कुमार
पदनाम- अधीक्षण अभियन्ता

or

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र० सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/ तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अजीत सिंह	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पावौ	पौडी सिटी	1. प्रान्त-लोक खण्ड लो०नि०वि० 2. रा० प्रा० खण्ड मुम्बई	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (पांच) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (छः) <input type="checkbox"/> धारा 17(1) (ख) (सात)	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	राजी दुग्गल कनिष्ठ के दिनेश्वर दुग्गल कनिष्ठ के में स्थानान्तरण का इच्छुक है अथवा इवतमान एक्टर के रद्द दिनांक

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- अजीत सिंह
पदनाम- सहायक अभियन्ता

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम- अधिशासी अभियन्ता
पदनाम- निर्माण खण्ड लो०नि०वि० पावौ (पौड़ी गढ़वाल)

42

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र. सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	ग्रह जगपथ/सहरील का नाम	रचामान्तरण हेतु 10 पृष्ठिक रचना परिधान क्रम में	एवट की धारा तिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	पुनीता रानी	प्रभारी सहायक अभियन्ता	प्रथम वृत्त, लो० वि० अल्मोड़ा	सहरील-जसपुर जिला-उधमसिंहनगर	1.प्रान्तीय खण्ड लो०वि०, रानीखेत 2.अस्थायी खण्ड, लो०वि०, भवाली 3.निर्माण खण्ड लो०वि०, रानीखेत 4.निर्माण खण्ड, लो०वि०, मैनीताल 5.प्रान्तीय खण्ड, लो०वि०, मैनीताल	धारा के नाम के आगे ✓ लगाये <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(एक) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(दो) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(तीन) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(चार) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(पाँच) <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(छः) ✓ <input type="checkbox"/> धारा 17(1)(ख)(सात)	प्रस्तुत शिकायतों का निबन्धन जिला का कानून के अन्तर्गत धारा (संशोधन)	मेरा घर काशीपुर जिला उधम सिंहनगर में स्थित है एवं मेरी सासू माँ (उम्र 83 वर्ष) अर्धमहिला से पीड़ित एवं ससुर (85 वर्ष) हृदय रोग से पीड़ित है जिसेही देखभाल की जिम्मेदारी मुझ पर एवं मेरे पति पर है मेरे पति वर्तमान में उत्तर प्रदेश के जिला रायपुर में सरकारी विभाग में कार्यरत है। प्रान्तीय खण्ड रानीखेत एवं उसके कार्यक्षेत्र की काशीपुर से दूरी कम होने के कारण मुझे राजकीय कार्यों के सम्बन्ध में अपनी पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन करने में सुनमत्त मिल जायेगी। अतः मेरा स्थानान्तरण प्रथम वृत्त, लो०वि०, अल्मोड़ा से प्रान्तीय खण्ड, लो०वि०, रानीखेत में करने की महति कृत करें। संक्षेप:- मुख्य अधिकारी अधिकारी/सचिव, राज्य विधित्ता परिषद् उत्तराखण्ड देहरादून द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र की प्रति।

नोट- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निम्न प्रमाण पत्र स्वप्रामाणित छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एवट की धारा के अन्तर्गत काम दिया जा सकेगा।

11/05/26
 हस्ताक्षर (कार्यालय)
 नाम-पुनीता रानी
 प्रभारी सहायक अभियन्ता

11/05/26
 हस्ताक्षर (कार्यालय)
 नाम- ई० हरिश कुमार
 पदनाम- अधीक्षक अभियन्ता

a

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र.सं.	न.सं.	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	10 ऐच्छिक स्थान वरियता कम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
	2	3	4	5	6	7	8	9
	श्री धनन्जय वर्मा	सहायक अभियन्ता	रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर	देहरादून/ऋषिकेश	1.निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर। 2.अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 कीर्तिनगर।	धारा के नाम के आगे सही का निशान लगाये	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(एक)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(दो)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(तीन)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(चार)	तीनती प्रमाण पत्र (सम्पत्ती)	
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(पांच)		
						<input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(छः)		
						<input type="checkbox"/> धारा 17 (1)(ख)(सात)		

हस्ताक्षर (कृमिक)

(श्री धनन्जय वर्मा)
सहायक अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)


(इ0राजवीर सिंह चौहान)
अधिशासी अभियन्ता
रा0मा0खण्ड, लो0नि0वि0 श्रीनगर


44

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान परिचय क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है	टिप्पणी	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	मानिका चौहान	सहायक अभियन्ता (सिविल)	निर्माण खण्ड लोडिंग/डिन्वालीसौर	उत्तरकाशी / सीरी	1- निर्माण खण्ड लोडिंग/डिन्वालीसौर बड़कोट 2- निर्माण खण्ड लोडिंग/डिन्वालीसौर पुनेला 3- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड बड़कोट 4- प्रांतीय खण्ड लोडिंग/डिन्वालीसौर उत्तरकाशी	धारा के नाम के आगे ✓ चिन्ह लगाये धारा 17 (1) (ख) (एक) धारा 17 (1) (ख) (दो) धारा 17 (1) (ख) (तीन) धारा 17 (1) (ख) (चार) धारा 17 (1) (ख) (पांच) धारा 17 (1) (ख) (छ) <input checked="" type="checkbox"/> धारा 17 (1) (ख) (सात)	-	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के कठिपय प्राधिकारों से छूट प्रदान किये जाने हेतु उत्तरखण्ड शासक के पत्र सं-36/XXX(2) /2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 की धारा 17 (1) (ख) (छ) के अनुगमन से अनुरोध। प्राधिकार का स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम में करने की कृपा करें।

नोट - कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये अधिनियम के सम्बन्ध में स्वयं उत्तर निर्गत प्रमाण पत्र सहायक/प्रति सहायक द्वारा प्रति सत्यापन करना अनिवार्य होगा। तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकता है।

हस्ताक्षर (कार्यालय)

 नाम - मानिका चौहान
 पदनाम - सहायक अभियन्ता (सिविल)

हस्ताक्षर (कार्यालय)

 नाम - S.P. सिन्हा
 पदनाम - अधीक्षक अभियन्ता
 के.ए.डी.डी. विभागाध्यक्ष
 Const. Division, PWD
 Chivalisaur, Utarkashi

OR

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम/कर्मचारी कोड	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील	स्थानान्तरण हेतु 10 पैच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
1	ई0 शुभम चौहान / 4227 0213M01498	सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, रुद्रप्रयाग।	देहरादून/कालसी	1 अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड।	धारा के नाम के आगे () लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के कतिपय प्राविधानों से छूट प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं0-30/XXX (2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 की धारा 17 (1) (ख) (छ:) के अनुपालन में अनुरोध। प्रार्थी का स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम में करने की कृपा करें।
					2 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, पुरोला।	धारा 17 (1) (ख) (एक)		
					3 अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, सहिया।	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					4 अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, चकराता।	धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					5 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बडकोट।	धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					6 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, चम्बा।	धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
					7 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, नई टिहरी।	धारा 17 (1) (ख) (छ:) ✓		
					8 प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी।	धारा 17 (1) (ख) (सात)		
					9 अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, कीर्तिनगर।			
					10 निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, श्रीनगर।			

नोट-कॉलम संख्या 07 में दर्शाये गये अक्षर के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

प्रतल संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर (कर्मचारी)
05/05/26
नाम:-ई0 शुभम चौहान
पदनाम:-सहायक अभियन्ता (सिविल)
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

हस्ताक्षर (कार्यालय/अध्यक्ष)
नाम:-ई0 ओंकर पाण्डेय
पदनाम:-अधिसूची अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०स०	नाम/कर्मचारी कोड	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरियता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है।		टिप्पणी
						7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	इ० सौरभ ढौंडियाल / 42270213M01497	सहायक अभियन्ता (सिविल)	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।	पौड़ी/धलीसैण	1 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, लैन्सडाउन।	धारा के नाम के आगे () लगायें	प्रस्तुत साक्ष्यों का विवरण	स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के कतिपय प्रविधानों से छूट प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं०-30/XXX (2)/2018-30(13) 2017 दिनांक 06.02.2018 की धारा 17 (1) (ख) (छ) के अनुपालन में अनुरोध। प्रार्थी का स्थानान्तरण दुर्गम से दुर्गम में करने की कृपा करें।
					2 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पाबो।	धारा 17 (1) (ख) (एक)		
					3 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी।	धारा 17 (1) (ख) (दो)		
					4 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, श्रीनगर।	धारा 17 (1) (ख) (तीन)		
					5 रा०मा० खण्ड, लो०नि०वि०, घुमाकोट।	धारा 17 (1) (ख) (चार)		
					6 अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि०, कीर्तिनगर।	धारा 17 (1) (ख) (पाँच)		
					7 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, रुद्रप्रयाग।	धारा 17 (1) (ख) (छ) ✓		
					8 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोपेश्वर।	धारा 17 (1) (ख) (सात)		
					9 निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, बैँजरों।			
					10 प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, पौड़ी।			

नोट:-कॉन्सम संख्या 07 में दर्शाये गये अधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम:-इ० सौरभ ढौंडियाल।
पदनाम:-सहायक अभियन्ता (सिविल)

हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम:-इ० ओंकर पाण्डेय
पदनाम:-अधिकांसी अभियन्ता

OK

05/05/18

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र०सं०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद/तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐच्छिक सीन वरियता कम में।	एक्ट की धारा जिसके अन्तर्गत अनुरोध किया गया है		टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	इं० ललित कुमार	सहायक अभियन्ता	निर्माण खण्ड लो०नि०वि० ऊखीमठ	उत्तरकाशी/पुरोला	राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड वडकोट निर्माण खण्ड वडकोट प्रान्तीय खण्ड उत्तरकाशी अस्थाई खण्ड थत्तूड अस्थाई खण्ड सहिया अस्थाई खण्ड चकराता प्रा० ख० टिहरी	घारा के नाम के आगे ✓ लगाये घारा 17 ख (छ)		पत्र संलग्न है।

नोट:- कॉलम संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा, तभी एक्ट की धारा के अन्तर्गत लाभ दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम- ललित कुमार
पदनाम- सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
ऊखीमठ


हस्ताक्षर (कार्यालय/माध्यक्ष)

नाम- इं० राकेश प्रकाश नेथानी
पदनाम- अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड लो०नि०वि०,
ऊखीमठ

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप -2

क्र०स०	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्यालय का नाम	गृह जनपद / तहसील का नाम	स्थानांतरण हेतु 10 ऐच्छिक स्थान वरीयता क्रम में	एक्ट की धारा जिसके अंतर्गत अनुरोध किया गया	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	9
					अस्थायी खंड देरीनाग	धारा के नाम के आगे लगाये	महोदय मेरे पिता का स्वास्थ्य दिगंत 1 वर्ष से खराब है एवं जिस हेतु उनको निरंतर चिकित्सक देखभाल की आवश्यकता रहती है महोदय प्रार्थिनी अपने परिवार की एक मात्र सक्षम व्यक्ति होने के साथ साथ परिवार की बड़ी पुत्री होने के नाते उनका सम्पूर्ण चिकित्सक देखभाल कर्ण अमी प्रार्थिनी की जिम्मेदारी है प्रार्थिनी के अन्य भाई बहिन अमी अपने घर से दूर पढाई कर रहे है जिसके कारण प्रार्थिनी को अपने पिताजी की देखभाल हेतु उनके समीप रहना अत्यंत आवश्यक है ।
					निर्माण खंड अल्मोडा	धारा 17 (1)(ख) (एक)	
					निर्माण खंड रानीखेत		
					प्रांतीय खंड अल्मोडा		
					प्रांतीय खंड रानीखेत	धारा 17 (1)(ख)(दो)	
					निर्माण खंड गैरसैण	धारा 17 (1)(ख)(तीन)	
					निर्माण खंड कपकोट	धारा 17 (1)(ख)(चार)	
					प्रांतीय खंड पिथौरागढ़	धारा 17 (1)(ख)(पांच)	
					प्रांतीय खंड रुद्रप्रयाग	धारा 17 (1)(ख)(छः) पिताजी के अस्वथता से सम्बन्धित चिकित्सकीय प्रपत्र	
					प्रांतीय खंड बागेश्वर	धारा 17 (1)(ख)(सात)	

नोट - कॉलम संख्या -07 में दर्शाये गए आधार के संबंध में सक्षम स्तर से निर्गत प्रमाण पत्र स्वप्रमाणित छायाप्रति संग्रह करना अनिवार्य होगा तभी को एक्ट की धारा के अंतर्गत लाभ दिया जा सकेगा।


हस्ताक्षर (कार्मिक)

नाम
पदनाम


हस्ताक्षर (कार्यालयाध्यक्ष)

नाम
पदनाम

अनुरोध के आधार पर आवेदन करने का प्रारूप-2

क्र.सं.	नाम	पदनाम	वर्तमान कार्य लंबाई का नाम	पूरी जनपद / तहसील का नाम	स्थानान्तरण हेतु 10 ऐंदिशक स्थान परिवर्तन क्रम में	एक ही वारा जिले के अंतर्गत अनुक्रम किया गया है	दिनांक	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	राम पाण्डेय	सहायक अभियन्ता (मिथिल)	मिनाथ खण्ड, लोहाचिठिया अन्वय	विभीषणगढ़ / पिथौरागढ़	1- राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड अंतर्गत 2- प्रांतीय खण्ड लोहाचिठिया अन्वय 3- मिनाथ खण्ड लोहाचिठिया अन्वय 4- प्रांतीय खण्ड लोहाचिठिया, पिथौरागढ़	घाटा के नाम के अंतर्चे <input checked="" type="checkbox"/> चिह्न लगाये घाटा 17 (1) (ख) (रक) घाटा 17 (1) (ख) (रक) घाटा 17 (1) (ख) (रक) घाटा 17 (1) (ख) (रक) घाटा 17 (1) (ख) (रक) घाटा 17 (1) (ख) (रक) <input checked="" type="checkbox"/> घाटा 17 (1) (ख) (रक)		
							<p>स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के परिषद प्रवैधानीक नोट प्रदान किये जाने हेतु उत्तराखण्ड शासन के पत्र सं-30/XXX(2) 2018-30(13)2017 दिनांक 06.02.2018 की घाटा 17 (1) (ख) (रक) के अनुपालन में अनुरोध। पत्रों का स्थानान्तरण प्रथम से दुर्गम से करने की वृत्त की।</p>	

नोट- सौभाग्य संख्या-07 में दर्शाये गये आधार के सम्बन्ध में सकल सार निकल प्रदान पत्र स्वयमार्थित किया प्रति सत्यापन करना अनिवार्य होगा। सभी एक ही वारा के अंतर्गत जारा दिया जा सकेगा।

हस्ताक्षर (आधिक)

नाम - राम पाण्डेय
पदनाम - सहायक अभियन्ता (मिथिल)

हस्ताक्षर (कार्यालय/पदा)

नाम - ~~...~~
पदनाम - ~~...~~
दिनांक - ~~...~~

11/5/26